वर्ष 4, अंक 75 रु. 1/-

# राष्ट्र महिला

जनवरी 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

## सम्पादकीय

बंगलौर में एक पिक-अप ड्राइवर द्वारा एक कॉल सेंटर की महिला कर्मचारी के नृशंस बलात्कार और हत्या के मामले से राष्ट्रीय महिला आयोग चिंतित है। इस अमानुषिक अपराध से न केवल शहर के निवासियों में व्यापक चिंता व्याप्त है अपितु देश भर में उन महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं जिन्हें विषम समय पर काम पर जाना होता है।

चाहे बंगलौर हो या मुम्बई, पुणे हो या कोलकता, गुड़गांव हो या दिल्ली, बी.पी.ओ. तथा कॉल सेंटरों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं तथा रात की पारी में काम करने वाली महिलाएं देर रात अथवा तड़के सुबह घर वापस लौटती हैं।

जहां तक बंगलौर की घटना का प्रश्न है, यह गंभीर अपराध इसलिए हुआ कि गाड़ी के ड्राइवर ने गलत बहाना बना कर लड़की को गाड़ी में बिठा लिया। लड़की इस बात की जांच किए बिना गाड़ी में बैठ गयी कि नियमित आने वाला ड्राइवर क्यों नहीं आया, जिससे यह साबित होता है कि वह इस प्रकार की बात होते रहने की आदी थी। उसके नियोजकों ने नियमित ड्राइवर द्वारा यह सूचित किए जाने पर भी कुछ नहीं किया कि कोई अन्य व्यक्ति उसे गाड़ी में ले जायेगा। यह सुरक्षा की एक बड़ी चूक थी और उसके नियोक्ताओं के असावधानीपूर्ण रवैये के कारण उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि नियमित ड्राइवर का फोन मिलने पर उन्होंने सच्चाई जानने की जहमत उठायी होती तो उसका जीवन बच जाता।

इस घटना को एक 'छिटपुट, कभी-कभार होने वाली' घटना करार देकर चुप नहीं बैठा जा सकता। यह तो वास्तव में कॉल सेंटर चलाने वालों के लिए एक चेतावनी है कि कुछ भी हो

## चर्चा में — महिला कर्मचारियों की सुरक्षा

सकता है और कार्यस्थल पर अथवा बाहर महिलाओं की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। अतएव, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि भारत में कॉल सेंटरों के 3,50,000 कर्मचारियों में 40 प्रतिशत महिलाएं हैं, वहां के नियोक्ताओं को अपनी परिवहन व्यवस्था पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।

फैक्टरी अधिनियम में किए गये संशोधन के अनुसार, अन्य क्षेत्रों के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महिलाओं को रात दस बजे से प्रातः 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गयी है, किन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नियोक्ताओं की होगी।

परन्तु वास्तविकता यह है कि कॉल सेंटरों, बी.पी.ओ. एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधक यह विश्वास करते हैं कि रात की पारी में उनके यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों को लाने और ले जाने की सुविधाएं प्रदान करके उनके प्रति उनकी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है।

इस संदर्भ में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बी.पी.ओ. उद्योग के प्रतिनिधियों, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों, महिला कार्यकर्ताओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर एक गोलमेज़ चर्चा की।

आयोग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के सुझाव देने के लिए एक समिति की स्थापना किए जाने के साथ यह सुझाव भी दिया कि महिला कर्मचारियों को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण दिया जाये और उनके साथियों को संवेदीकृत किया जाये, पुलिस द्वारा इन गाड़ियों के ड्राइवरों की तसदीक की जाये, लाने-ले जाने के मामले में महिलाओं को पहले छोड़ने तथा बाद में लाने की पद्धति अपना जाये और सभी गाड़ियों में ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली लगाई जाये जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी नियंत्रण लगेगा।

## मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य पर बैठक

दक्षिण एशियाई सांसद फोकस ग्रुप की दो-दिवसीय एक बैठक नई दिल्ली में 'मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य' पर आयोजित की गयी। बैठक का उद्घाटन आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने किया।

इस बैठक में दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व के एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया, नेटवर्क द्वारा सहयोग स्थापित करने तथा इस क्षेत्र में जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के सुधारने में राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहराई।

मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के निदान में सांसदों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर बैठक में चर्चा की गयी तथा माताओं व शिशुओं के दुर्बल-पक्ष, सहायता तथा देखभाल के मुद्दों सहित आचार परिवर्तन संप्रेषण रणनीति शामिल किए जाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

*डॉ. गिरिजा व्यास बैठक को संबोधित करते हुए*

## भारत में एक करोड़ लड़कियां 'लुप्त'

ब्रिटिश डॉक्टरी पत्रिका 'लैंसेट' द्वारा किए गये जन्म दरों के एक अध्ययन के अनुसार, अल्ट्रासाउंड प्रणाली द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाने और लड़के के लिए परंपरागत पसंदगी के परिणामस्वरूप भारत में गत बीस वर्षों में लगभग 1 करोड़ नारी भ्रूण गर्भपात कराए जाने का अनुमान है।

कनाडा तथा भारत स्थित शोधकर्ताओं ने 1998 में किए गये 11 लाख परिवारों के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों और 1997 में हुए 1,33,738 जन्मों की सूचना की समीक्षा की।

उन्होंने पाया कि उन मामलों में जहां पहले वाला बच्चा लड़की थी, दूसरे जन्म का लिंग अनुपात 1000 लड़कों के पीछे केवल 759 लड़कियां था और जहां पहले वाले दो बच्चे लड़कियां थीं, यह अनुपात और भी गिरकर 1000 लड़कों के पीछे 719 लड़कियां रह गया।

दूसरी ओर, जहां पहले वाला बच्चा या बच्चे लड़के थे, आगे के जन्मों का लिंग अनुपात लगभग वही था।

अन्य देशों के स्वाभाविक लिंग अनुपात को देखते हुए, भारत में 1997 में लगभग 1.36 - 1.38 करोड़ लड़कियों का जन्म होना चाहिए था, किन्तु वास्तविक संख्या 1.31 करोड़ थी। जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण और चयनित गर्भपात के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 5 लाख लड़कियां 'लुप्त' हो जाती हैं।

यदि यह आचरण गत 20 वर्षों से, जब अल्ट्रासाउंड का प्रचार बहुत बढ़ चुका था, चालू है तो अब तक भारत में 1 करोड़ नारी भ्रूणों का गर्भपात कराया जा चुका होगा।

## सेक्स कर्मियों के लिए शीर्ष प्राधिकरण

व्यक्तियों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से रोकने और उससे निपटने के लिए, केन्द्र सरकार ने एक शीर्ष प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अनैतिक व्यापार (निषेध) संशोधन विधेयक, 2005 में एक शीर्ष प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है जिसका प्रमुख कृत्य सेक्स कर्मियों की शिकायतें सुनना, उनकी मुश्किलों को दूर करना और उनसे संबंधित मामलों की छानबीन करना होगा।

आशा है कि इस प्राधिकरण में - जिसका प्रमुख एक अध्यक्ष होगा - विभिन्न राज्यों के केडरों के पुलिस अधिकारी होंगे। इस प्राधिकरण को अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किए गये अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होगा।

## हाथ काटने के मामले पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी

मध्य प्रदेश में एक महिला द्वारा बलात्कार का मामला वापस लेने से इंकार करने पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा उसका हाथ काट डालने, उसका घर जला देने तथा उसके परिवार के सदस्यों को पीटने के मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य की पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

## अ-निवासी भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए कक्ष

देश के विभिन्न महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 'वीमेन पावर कनेक्ट' नामक संगठन द्वारा प्रवासी भारतीयों के मामलों के मंत्रालय तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से उन अ-निवासी महिलाओं की सहायता के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए एक कक्ष स्थापित किया जा रहा है जो धोखेबाज विवाहों की शिकार हो जाती हैं अथवा विदेशों में अपने पतियों द्वारा सतायी जाती हैं।

अ-निवासी महिलाओं की, जिन्हें अन्य देशों में रहते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भावात्मक तथा कानूनी सहायता के लिए कोई व्यवस्था स्थापित किए जाने का प्रबल समर्थन करते हुए, वीमेन पावर कनेक्ट ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2006 में एक अ-निवासी महिला कक्ष स्थापित किए जाने की हिमायत की थी।

प्रस्तावित कक्ष द्वारा अ-निवासी भारतीय महिलाओं के विशिष्ट रूप से लिए जाने वाले मुद्दों में शामिल होंगे अमेरिका, इंग्लैंड में रहने वाले अ-निवासी भारतीय दूल्हों तथा दुल्हनों के बीच हुए असफल और धोखे के विवाह, ऐसे विवाहों के विच्छेद से संबंधित मुद्दे जो एक देश में मान्य हैं किन्तु अन्य देशों में नहीं जिसके फलस्वरूप अ-निवासी भारतीय पुरुष तथा भारतीय महिला के बीच हुआ विवाह रद्द हो जाता है, अ-निवासी भारतीय द्वारा पत्नी का परित्याग या बलात तलाक।

## सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लचीली कार्य सुविधाओं पर विचार

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार महिला उन्मुख बजट व्यवस्था पर विचार करगी और कुछ औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने तथा कार्य सुविधाओं में लचीलापन लाने पर विचार किया जा सकता है।

महिलाओं के कल्याण कार्य का उल्लेख करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि कानूनों में महिला मुद्दों का समावेश करके तथा विशिष्ट बजट प्रावधान द्वारा शासन-व्यवस्था को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जायेगा।

उन्होंने आगे कहा कि सभी निर्णयकारी स्तरों पर उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

## साहस का प्रदर्शन

बालासोर, उड़ीसा, में हाल ही में एक हिन्दू लड़की ने विवाह संस्कार पूरे होने के बाद उस समय अपनी चूड़ियां तोड़ दीं और सिंदूर मिटा दिया जब उसके लालची पति ने अधिक दहेज की मांग की।

पुलिस के अनुसार, तानुश्री पाणि ने बालासोर में उत्सव मंडल में रंजीत सारंगी से विवाह किया। लड़की के पिता ने विवाह से पूर्व 2 लाख रुपये दिये थे और शेष 1 लाख रुपये बाद में देने का वायदा किया था। किन्तु विवाह सम्पन्न होने के कुछ मिनट बाद ही दूल्हे ने 3 लाख रुपए की मांग पेश कर दी।

इसके फलस्वरूप, दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और लड़की के पिता द्वारा पुलिस में एक एफ.आई.आर. दर्ज कराने पर दूल्हा और उसके कुछ रिश्तेदार जेल पहुंच गये।

## महत्वपूर्ण निर्णय

### अनुसूचित जाति/जनजाति वाले विवाह करने वाली ऊंची जाति की महिला को कोटा का लाभ नहीं मिलेगा

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि ऊंची जाति की कोई महिला किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो इस आधार पर उसे किसी आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल जाता।

### उच्च न्यायालय ने गर्भवती क्षात्रा पर से रोक हटाई

कोलकता उच्च न्यायालय ने एक प्राइवेट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें एक विवाहित छात्रा को कक्षा में आने से इस आधार पर वर्जित कर दिया गया था कि वह गर्भवती है और अपने पूर्व में दिए गये इस निर्णय को कायम रखा कि हर बालिग लड़की को मातृत्व का अधिकार है।

### सेना के खुफिया विभाग में महिलाओं को काम मिलेगा

सेना प्रमुख जनरल जे.जे. सिंह ने कहा है कि इस वर्ष से मिलिटरी इंटेलीजेंस कोर में अधिक महिलाएं ली जाएंगी। महिलाओं को दुभाषियों, अनुवादकों तथा सहायक सहचारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

### दहेज की मांग को ठुकराइए

याद रखिए :

- दहेज देना अपराध है।
- दहेज की मांग करना अपराध है।
- दहेज देने में सहायता करना अपराध है।

यह भी याद रखिए कि भारतीय दंड संहिता 1860, 1872 और 1973 में इसके लिए कठोर दंड के प्रावधान हैं।

## सदस्यों के दौरे

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने सवाई माधोपुर में 'संस्कृति' द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं पर आयोजित एक जन-सुनवाई में भाग लिया। बाल-विवाह तथा भ्रूण हत्या पर गैर सरकारी संगठनों की एक बैठक में भाग लेने वह मुरादाबाद भी गयीं। होडल, फरीदाबाद, में महिला जागरुकता सेमिनार में वह मुख्य अतिथि थीं। कानपुर में उन्होंने 'लिंग चयन एवं जन्म-पूर्व नारी विलोपन' पर एक कार्यशाला व सेमीनार में भाग लिया।

*जन सुनवाई में सुश्री अब्रार प्रश्नों के उत्तर देते हुए*

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और गण उन्नयन परिषद द्वारा आयोजित कानूनी जागरुकता कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। समारोह में मंत्रणाकारों, स्व-सहायी ग्रुपों के सदस्यों तथा तृणमूल कार्यकताओं सहित लगभग 60 भागीदार थे।

  सुश्री भट्टाचार्य मेदनीपुर जिला (पूर्व) में हानीचाक तथा नरकरचाक गांवों में 30 महिला कलाकारों से मिलने गयीं और उनके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित राज्य स्तरीय कार्यशाला के बारे में चर्चा की। बाद में, वह ठाकुरपुकुर विवेकानंद सह-शिक्षा कॉलेज गयीं और 'महिलाएं तथा हिंसा' पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया। प्रतिभा नगर पुस्तकालय सरसुना के शताब्दी समारोह के अवसर पर उन्होंने वैश्वीकरण के प्रभाव पर भाषण दिया।

- सदस्या निर्मला वेंकटेश हैदराबाद गयीं और महिला समाज उद्धार मंच की बैठक की अध्यक्षता की। एयर होस्टेस पूर्णिमा रश्मि की कथित दहेज-मृत्यु की जांच करने वह बंगलौर गयीं। वहां उन्होंने महिला कृषि समाज की एक बैठक में भी भाग लिया और कृषि तथा वृक्ष-रोपण कार्यों में रत महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की।

  सुश्री वेंकटेश ने महिला संघर्ष समिति द्वारा चेन्नई में घरेलू कार्यों तथा घर सफाई में लगी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन शोषण पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। तत्पश्चात् वह कर्नाटक विधान परिषद तथा विधान सभा में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण के मामलों की जांच करने बंगलौर गयीं। फिर, उन्होंन ज्योति मित्तल की कथित दहेज-मृत्यु के

मामले की जांच-पड़ताल की। उन्होंने कहा कि अपराधियों को मामला तय हो जाने तक अपराध स्थल से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

बंगलौर में एक कॉल सेंटर की महिला कर्मचारी के बलात्कार व हत्या से उठे मामले के संबंध में पुलिस तथा कॉल सेंटरों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सुश्री वेंकटेश ने भाग लिया। बाद में, उन्होंने दहेज मांग के सिलसिले में सताई जा रही विद्या का मामला देखा। तत्पश्चात्, रिमांड होम की लड़कियों पर पुलिस द्वारा की गयी ज्यादतियों पर चर्चा के लिए उन्होंने एक बैठक में भाग लिया।

*कॉल सेंटरों के कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में सुश्री वेंकटेश। उनके बायें को पुलिस कमिश्नर श्री अजय के. सिंह*

- सदस्या नीवा कंवर डिब्रूगढ़ में महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा 'उत्तर-पूर्वी ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण — समस्याएं तथा संभावनाएं' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि थीं। सेमिनार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था।

*सुश्री कंवर श्रोतागणों को संबोधित करती हुई*

## कुछ अलग से

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली 10 लाख से अधिक महिलाएं राज्य के स्वयं-सहायी ग्रुपों की सदस्य हैं। उनकी कुल जमा आस्तियां 13 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। ये महिलाएं, जो अधिकतर निरक्षर हैं, ठेकेदारों को दरकिनार कर खदानों, मछली पालन केन्द्रों, बड़े कृषक क्षेत्रों और हाटों (साप्ताहिक बाजारों) तक का संचालन कर रही हैं तथा कोई भी चुनौती उनकी सामर्थ्य के बाहर नहीं है।

उन्होंने चूना तथा पत्थर की खदानें चलाने का परंपरागत पुरुष प्रधान कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है और बड़े निर्माण कार्य लेने को भी तैयार हैं।

## शाबाश आयोग

सदस्या मालिनी भट्टाचार्य के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा किये गये कथित बलात्कार की पीड़िता श्रीमती जयंती बाला दास को, जिन्हें अपनी छोटी बच्ची के साथ ढाई वर्ष से सुरक्षा कारणों से जेल में रहना पड़ रहा था, जेल से छुड़ाकर उनका पुनर्वास किया गया। सुश्री भट्टाचार्य कोलकता उच्च न्यायालय की वकील और बंगाल राज्य महिला आयोग की सदस्या सुश्री भारती मुसुद्दी के साथ जब बसीरहाट सी.जे.एम. कार्ट गयीं, तभी उस लड़की से संबंधित कागजातों को खोजा गया और चार दिन तक प्रेसीडेंसी जेल तथा बसीरहाट कोर्ट के बीच दौड़-भाग करने के बाद वे जयंती को जेल से रिहा कराने तथा उसके बड़े भाई की हिफाजत में रखने में सफल हुयीं।

*अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट :* **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन